छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका
सत्र 2017–18

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1	प्रस्तावना	03
2	छात्रसंघ निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश	04–10
3	प्राचार्य/संरक्षक के लिये निर्देश	11–13
4	प्रत्याशियों के लिए अर्हताएं	14–17
5	छात्रसंघ गठन : कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन	18
6	छात्रसंघ गठन : पदाधिकारियों का निर्वाचन	19
7	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन की समय सारिणी	20
8	मतदान की तैयारी एवं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु	21–23
9	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन	24–25
संलग्नक :–		26
I	छात्रसंघ निर्वाचन की अधिसूचना	27
II	आचार संहिता	28–30
III	नांमाकन प्रपत्र कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी, प्रत्याशी का अभिवचन पत्र, प्रत्याशी का घोषणा पत्र, प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी के नामांकन हेतु शपथ पत्र एवं पावती	31–37
IV	नाम वापसी का प्रपत्र : कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी	38
V	मतगणना के नियम	39
VI	मतपत्र – कक्षा प्रतिनिधि	40
VII	मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम : कक्षा प्रतिनिधि	41
VIII	मतपत्र लेखा : कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी	42
IX	निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा : कक्षा प्रतिनिधि	43
X	निर्वाचन प्रमाण पत्र : कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी	44
XI	मतपत्र छात्रसंघ पदाधिकारी	45
XII	मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम : पदाधिकारी	46
XIII	निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा : पदाधिकारी	47
XIV	निर्वाचकों का शपथ पत्र	48
XV	निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा निर्धारित व्यय राशि का लेखा प्रारूप	49
XVI	अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	50
XVII	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	51
XVIII	अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में निर्वाचित पदाधिकारियों की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	52
XIX	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में निर्वाचित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकजाई कर प्रेषण।	53

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

1. प्रस्तावना

1. 21 वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक मूल्यों का निरंतर विकास एवं विस्तार मानव सभ्यता के लिये आवश्यक है। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एवं पोषण के लिये छात्रसंघ गठन एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पद्धति विद्यार्थियों को नेतृत्व से युक्त एवं संकीर्णताओं से मुक्त कर सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करती है।

2. छात्रसंघ गठन विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयीन व्यवस्था के मध्य संवाद की नींव रखता है। प्रतिनिधित्व की प्रणाली सामाजिक शिष्टाचार, कानून का सम्मान, व्यवस्था की मर्यादाएं तथा जनतांत्रिक मूल्य से अवगत कराती है। छात्रसंघ गठन एक रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें अनुत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व, विचारशीलता से सृजनशीलता, अलगाव से लगाव तथा संकीर्णता से व्यापकता की ओर ले जाती है। प्रक्रिया की सफलता समस्त महाविद्यालयीन परिवार की सर्तकता एवं संजीदगी पर निर्भर है।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

2. छात्रसंघ निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर–अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं परम्परागत विश्वविद्यालयों के कैम्पस में छात्रसंघ गठन के संबंध में लिंगदोह समिति की अनुशंसा अनुरूप एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित मॉडल, चार्ट IV D के अनुसार छात्रसंघ गठन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ महाविद्यालय से आशय शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर–अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं परम्परागत विश्वविद्यालयों के कैम्पस में संचालित समस्त कक्षाओं/विभाग से है।

   छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 की प्रक्रिया दिनांक 23.10.2017 से संलग्न समय सारिणी अनुसार सम्पन्न होगी।

2. महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रसंघ गठन के लिए कक्षा प्रतिनिधियों के अलावा निम्नलिखित पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन किया जाएगा :– पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह–सचिव)। इन पदों के लिए छात्राओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस वर्ष पदों के आरक्षण के लिए संस्था प्रमुख/प्राचार्य के द्वारा लॉटरी से ड्रा निकालकर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा एवं आगामी वर्षों में रोटेशन पद्धति से अन्य पदों को आरक्षित किया जाएगा।

3. अध्यक्ष पद पर ऐसे महाविद्यालय जहां स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं, में स्नातकोत्तर कक्षा से ही अभ्यर्थी/प्रत्याशी नामांकन हेतु पात्र होगा। अन्य तीनों पदाधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होगा।

प्रक्रिया :–

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार छात्रसंघ गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिसमें निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा, अभ्यर्थियों के नामांकन एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरान्त शपथ ग्रहण तक की प्रक्रिया शामिल होगी, इसके लिए अधिकतम 10 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है।

5. विश्वविद्यालय कैम्पस को छात्रसंघ गठन हेतु महाविद्यालय के समान ही माना जाएगा अर्थात विश्वविद्यालय में महाविद्यालय की छात्रसंघ गठन प्रक्रिया के समान ही कक्षा प्रतिनिधि एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय मे छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया एक समान ही होगी। इस प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग (यू.टी.डी.) के माध्यम से संचालित समस्त विभागों/कक्षाओं को एक महाविद्यालय के रूप में माना जाएगा। परन्तु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू.आर.) का निर्वाचन नहीं किया जाएगा, इस कारण से यू.आर. के माध्यम से विश्वविद्यालय

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

स्तरीय छात्रसंघ का निर्वाचन इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

6. किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा अर्थात् यदि किसी कक्षा के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया है तो सरंक्षक के द्वारा उस कक्षा के लिए गुणानुक्रम के आधार पर अर्हताधारी सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाएगा।

7. कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा/वर्ग का होना चाहिए। इसके साथ ही उसका नाम संबंधित कक्षा तथा वर्ग (सेक्शन) की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अंकित होना चाहिए।

8. कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन समय सारिणी अनुसार किया जायेगा। छात्रसंघ पदाधिकारियों के लिए नामांकन कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित होने के पश्चात् उसी दिन समय सारिणी अनुसार किया जाएगा।

9. महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख छात्रसंघ के संरक्षक एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी एवं प्रभारी रहेंगे। महाविद्यालयों मे छात्रसंघ गठन के कार्य के लिए संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा) के अनुमोदन से प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को "छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी" घोषित किया जाएगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में छात्रकल्याण अधिष्ठाता छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी होंगे। छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी छात्रसंघ निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं गतिविधियों को संरक्षक के मार्गदर्शन में सम्पादित करेंगे। संरक्षक द्वारा अधिसूचना प्रकाशन, पदाधिकारियों/कक्षा प्रतिनिधियों के आरक्षण हेतु लॉटरी, परिणाम तथा शपथ ग्रहण के उत्तरदायित्व को संरक्षक निष्पादन करेंगे। (छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया 2017–18सम्पन्न करने के लिये निर्धारित संलग्न प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा)

10. उक्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों/सेक्शन से विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर कक्षा प्रतिनिधि/सी.आर. का निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि तथा गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर) छात्रसंघ के विभिन्न (चार) पदाधिकारियों में से किसी भी एक पद के लिए अपना नामांकन कर सकते है। जिसके उपरान्त निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि एवं गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही वोट डालकर छात्रसंघ पदाधिकारियों को चुनेंगे अर्थात कक्षा प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु उस कक्षा के समस्त पात्रता रखने वाले विद्यार्थी मतदान करेंगे एवं महाविद्यालयीन पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित अथवा मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही मतदान करेंगे। इस तरह से प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

Signature Not Verified
ARPANBHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

7. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन की समय सारिणी

क्र.	दिनांक	समय	कार्यक्रम विवरण
1	23.10.2017	11:00 प्रातः 3.00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संरक्षक द्वारा छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का जारी होना। छात्रसंघ गठन के लिए संरक्षक द्वारा पदों के आरक्षण की घोषणा।
2	24.10.2017	11:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रमशः विभागवार/कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना।
3	25.10.2017	04:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन।
4	26.10.2017	11:00 से 03:00 अपरान्ह तक	मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर दावा/आपत्ति।
5	27.10.2017	05:00 सायं तक	मतदाताओं की संशोधित अंतिम (वैध) सूची का प्रकाशन।
6	28.10.2017	10:00 से 11:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशियों का नामांकन।
		11:00 से 12:00 मध्यान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		12:00 से 12:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		12:30 से 01:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		01:00 से 02:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:00 से 02:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		02:30 से 03:30 अपरान्ह तक 03:30 अपरान्ह से कार्य पूर्ण तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन। जिन कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन नहीं हुआ है उन कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर संरक्षक द्वारा मनोनयन कर सूची जारी करना। विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतपत्र तैयार करना/मतदान केन्द्रों का निर्माण।
7	29.10.2017	05:00 सायं से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित।	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के द्वारा छात्रसंघ गठन के लिए प्रचार प्रसार।
8	30.10.2017	08:00 से 10:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/ महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान।
		10:00 प्रातः से 10:30 तक 11:00 मध्यान से 12.00 बजे तक	कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा। गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की एकजाई अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। इन मतदाताओं के द्वारा ही पदाधिकारियों को मतदान किया जाएगा।
		12:00 से 01:00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन।
		01:00 से 01:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		01:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		01:30 से 02:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		02:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:30 से 03:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		03:00 बजे से 03:30 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 से 04:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारियों के लिए मतदान।
		04:30 अपरान्ह से	पदाधिकारियों के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		परिणाम घोषणा के उपरान्त तत्काल	शपथ ग्रहण। नोट : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों /पदाधिकारियों के परिणामों एवं पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषण।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

11. वे कक्षा प्रतिनिधि जो अंततः प्रक्रियानुसार महाविद्यालयीन पदाधिकारी के रूप में समान्य रूप से निर्वाचित होते है। तो वे दोनों पदों को धारण करेंगे।

12. ऐसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा प्रतिनिधियों की कुल संख्या 4 से कम हो तो निम्न क्रम में पदाधिकारी निर्वाचित किये जाएंगे– अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव एवं शेष पद रिक्त रहेंगे।

13. निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन संस्था स्तर पर किया जाएगा जो किसी भी तरह की शिकायत या अभ्यावेदन आने पर उसका जांच प्रतिवेदन प्राचार्य/संरक्षक, कुलपति/संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे एवं उसी दिन संरक्षक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

14. मतदान के उपरान्त परिणाम घोषित होते ही उसी दिवस महाविद्यालयों में संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। विश्वविद्यालयों मे कुलपति द्वारा निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

15. कक्षा प्रतिनिधि हेतु छात्राओं के लिए आरक्षण :–

कक्षा प्रतिनिधि के लिए कुल पदों के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित कक्षाओं के चयन के लिए लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाएगा। परन्तु छात्रओं हेतु सी.आर. का आरक्षण तभी किया जाएगा जब उन कक्षा विशेष में न्यूनतम 3 छात्राएं (अर्हताधारी) अध्यनरत हो। कन्या महाविद्यालयों में यह आरक्षण लागू नही होगा क्योंकि समस्त पद महिलाओं के लिए ही होंगे। 50 प्रतिशत की गणना महाविद्यालय में निर्वाचन में भाग ले रही कुल कक्षाओं में से की जाए। अगर न्यूनतम आवश्यक 03 छात्राओं से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो इन कक्षाओं में से लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाए। अगर यह संख्या 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी सभी कक्षाओं में छात्राओं के लिए आरक्षण रहेगा। शेष सभी कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के पद को अनारक्षित मानते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन कराये जाए। महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरणः– अगर तीन छात्राओं अथवा तीन से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या कुल कक्षाओं की संख्या के 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत महिला सीट आरक्षण की बाद्यता नहीं रहेगी एवं ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से 3 से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं को ही छात्राओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) के लिए आरक्षित माना जाएगा।

उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय में समस्त संकाय/पाठ्यक्रम की कुल 36 कक्षाएं संचालित है। सर्वप्रथम 03 या 03 से अधिक छात्राओं की संख्या वाली कक्षाओं को

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

चिन्हित किया जाए, और यह संख्या 18 (अर्थात 50 प्रतिशत) या 18 से कम है तो इन्ही 18 या 18 से कम कक्षाओं में से ही छात्राओं/महिलाओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) का पद आरक्षित रहेगा। यदि 03 या 03 से अधिक छात्राओं की कक्षाओं की संख्या 18 से अधिक होती है तो ऐसी सभी कक्षाओं को पर्ची/लॉटरी बनाकर उसमे से 50 प्रतिशत अर्थात इस उदाहरण में 18 कक्षाएं छात्राओं हेतु कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) आरक्षण के लिए चिन्हित की जावे।

छात्रसंघ निर्वाचन की समय सारिणी अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के समय छात्र–छात्रा उपस्थित रहें। इस हेतु संस्था के संरक्षक द्वारा सूचना पटल पर एवं कक्षाओं में इस बाबत् सूचना प्रसारित कराना सुनिश्चित की जाए।

प्रत्याशियों के लिए अर्हता :–

17. स्नातक स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2012–13 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो। 12वीं कक्षा के बाद अन्तराल (गैप) ले सकता है। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अन्तराल (गैप) नहीं ले सकता है।

18. विद्यार्थी ने किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित न्यूनतम अवधि में ही उत्तीर्ण किया हो।

19. किसी भी उपाधि/परीक्षा को पूरक/एटीकेटी के द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया हो।

20. विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त न रहा हो।

21. विद्यार्थी को जन्मतिथि प्रमाणन के लिए 10 वीं की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. **निम्न परिस्थितियों में प्रत्याशी अपराधिक प्रकरणों के प्रचलन आदि के कारण अपात्र होगें:–**

    (i) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

    (ii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर आरोप निर्धारित कर लिया गया हो।

    (iii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

    (iv) किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई हो, जिसमें दर्ज धाराओं के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।

    (v) परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में (i से iv) में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों के आधार पर प्रत्याशी को अपात्र नहीं माना जाएगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी में अपराध प्रदेश में प्रचलित किसी भी अधिनियम में दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत होने पर अपात्रता निर्मित होगी। उदाहरण स्वरूप – भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी. सी.), आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधित अधिनियम आदि।

(vii) उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रत्याशी द्वारा स्वयं का अभिवचन पत्र पर्याप्त होगा। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से देने पर निर्वाचन पूर्व, दौरान एवं पश्चात कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करना, निर्वाचित अभ्यर्थी को पद से हटाना एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है।

23. संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दण्डित नहीं किया हो अथवा जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था में विचाराधीन न हो। प्रत्याशी से विभिन्न स्तरों पर अभिवचन पत्र भी भरवाए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

24. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुल अध्ययनकाल की अवधि में (स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल अवधि) कोई भी विद्यार्थी अधिकतम एक बार ही छात्रसंघ पदाधिकारी के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए यह बंधन नहीं है।

25. विद्यार्थी को संस्था/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।

आचार संहिता :–

26. प्रत्येक निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।

27. निर्वाचन शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थीगण अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी या बाधा के कर सके ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए।

28. प्रत्येक प्रत्याशी की अधिकतम व्यय सीमा रू. 5000/– से अधिक व्यय नहीं करेगा।

29. सीमा से अधिक व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

जाएगा।

30. अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अधीन उल्लेखित 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध की श्रेणी में आते हो।

31. छात्रसंघ निर्वाचन राजनीतिक दलीय आधार पर नहीं होंगे। प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों एवं पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

32. कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म एवं समुदाय आधारित प्रचार प्रसार या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। मत प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के जातीय या साम्प्रदायिक भावना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

33. जाति, धर्म, वर्ग तथा समुदायिक आधार पर वोट नहीं माँगे जा सकेंगे।

34. किसी भी अभ्यर्थी को ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की अनुमति के बिना उपयोग करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन होने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

35. मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर में प्रचार–प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। विशेष रूप से मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर से 500 मीटर के घेरे में किसी प्रकार का प्रचार – प्रसार सामग्री के प्रदर्शन/वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

36. मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व संध्या 05:00 बजे के उपरान्त प्रचार–प्रसार पूर्णतः रोक दिया जाना चाहिए।

37. मतदाताओं को किसी तरह का परिवहन, ट्रांसपोर्ट अथवा कन्वेन्स उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

38. प्रत्याशी छपे हुए पोस्टर्स का छपी हुई सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। सिर्फ हाथ से बनाए पोस्टर्स का उपयोग करेंगे। इसमें कम्प्यूटर प्रिंट आउट/ आधारित पोस्टर/प्रचार सामग्री भी प्रतिबंधित है।

39. एक अभ्यर्थी द्वारा लगाये गए पोस्टर दूसरे अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिये।

40. प्रत्याशी सम्पूर्ण अवधि में महाविद्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में जुलूस या जनसभा नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी महाविद्यालय की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

41. मतदान के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को अद्यतन परिचयपत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

42. प्रत्येक संस्था में विद्यार्थियों के नामांकन देखने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जाना है। इस हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी ताकि सभी संस्थाओं से निर्वाचन की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।

43. निर्वाचन संबंधी कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई बात जो संविधान में दिये सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल न हो और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी, का पालन किया जाएगा।

44. विभिन्न छात्र संगठनों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करें, या विद्यार्थियों के मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

45. किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों सामग्री, भोजन आदि का वितरण, विद्यार्थियों को प्रभावित करता है एवं इसके कारण बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है अतः ऐसे समस्त कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है।

46. उपरोक्त छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में विशेष परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतों एवं ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जिनमें छात्रसंघ गठन के लिए अर्हता प्राप्त प्रत्याशी/अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग लिंगदोह समिति एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन/परिवर्तन कर उचित निर्देश जारी करने हेतु सक्षम रहेगा।

47. जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक की उपलब्धता नहीं है अथवा अतिरिक्त आवश्यकता है। वे संबंधित जिले के कलेक्टर से लिखित में आग्रह कर अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं लेने हेतु आदेश प्राप्त करेंगे।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

3. प्राचार्य/संरक्षक के लिए निर्देश

1. छात्रसंघ गठन संबंधी अधिसूचना नियमानुसार जारी की जाए।

2. महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख छात्रसंघ के संरक्षक एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी एवं प्रभारी रहेंगे। महाविद्यालयों मे छात्रसंघ गठन के कार्य के लिए संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा) के अनुमोदन से प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को "छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी" घोषित किया जाएगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में छात्रकल्याण अधिष्ठाता छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी होंगे। छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी छात्रसंघ निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं गतिविधियों को संरक्षक के मार्गदर्शन में सम्पादित करेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संरक्षक छात्रसंघ निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन, पदाधिकारियों/कक्षा प्रतिनिधियों के आरक्षण हेतु लॉटरी तथा शपथ ग्रहण के उत्तरदायित्व को निष्पादत करेंगे।
(छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया 2017–18 सम्पन्न कराने के लिये संलग्न निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा)

3. उक्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों/सेक्शन से विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर कक्षा प्रतिनिधि/सी.आर. का निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि अथवा गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर) छात्रसंघ के विभिन्न (चार) पदाधिकारियों में से किसी भी एक पद के लिए अपना नामांकन कर सकते है। जिसके उपरान्त निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि एवं गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही वोट डालकर छात्रसंघ पदाधिकारियों को चुनेंगे अर्थात कक्षा प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु उस कक्षा के समस्त पात्रता रखने वाले विद्यार्थी मतदान करेंगे एवं महाविद्यालयीन पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित अथवा मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही मतदान करेंगे। इस तरह से प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

4. वे कक्षा प्रतिनिधि जो अंततः प्रक्रियानुसार महाविद्यालयीन पदाधिकारी के रूप में समान्य रूप से निर्वाचित होते हैं तो वे दोनों पदों को धारण करेंगे।

5. ऐसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा प्रतिनिधियों की कुल संख्या 4 से कम हो तो निम्न क्रम में पदाधिकारी निर्वाचित किये जाएंगे– अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव एवं शेष पद रिक्त रहेंगे।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

6. निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन, संस्था स्तर पर किया जाएगा जो किसी भी तरह की शिकायत या अभ्यावेदन आने पर उसका जांच प्रतिवेदन प्राचार्य/संरक्षक, कुलपति/संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे एवं उसी दिन संरक्षक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. मतदान के उपरान्त परिणाम घोषित होते ही उसी दिवस महाविद्यालयों में संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। विश्वविद्यालयों मे कुलपति द्वारा निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

8. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय में कक्षावार/विश्वविद्यालय में विभागवार तैयार करना।

9. पर्याप्त सुरक्षा बल/पुलिस बल की तैनाती हेतु जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/स्थानीय पुलिस अधिकारी/स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देना। अगर महाविद्यालय में बाउण्ड्री वाल नहीं है अथवा किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित है तो पुलिस को स्पष्ट रूप से लिखित में देना ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

10. समस्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र का वितरण तथा अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए।

11. नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) का गठन करना।

12. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (समिति) का गठन करना।

13. प्राचार्य/संरक्षक छात्रसंघ के गठन की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अनुशासित ढंग से समय सीमा में सम्पन्न कराएं।

14. (अ) यदि इस सत्र 2017–18 में स्नातक द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ सेमेस्टरों तथा स्नातकोत्तर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इस सत्र के लिए प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अधिसूचना जारी होने के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को अस्थायी परिचय पत्र जारी किया जाएगा। कक्षा प्रतिनिधि अथवा अन्य पदो के लिए प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को एक सादे कागज पर **स्वहस्ताक्षरित शपथ–पत्र** देना होगा कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन परीक्षा में भाग लिया है अथवा भाग लेंगे। अगर वे परीक्षा अनुउत्तीर्ण रहते हैं अथवा किसी विषय में उन्हें ए.टी.के.टी मिलती है तो उनका निर्वाचन तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित कर दिया जाय।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(ब) जिन स्थानों पर परीक्षाएं नहीं हुई है या चल रही है उन सभी स्थानों पर अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रवेश मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 के नियम अनुसार आगामी सत्र में प्रावधिक रूप से प्रवेशित माने जाने जाएंगे।

(स) ऐसे विद्यार्थी बिन्दु (ब) अनुसार छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 में भाग ले सकते हैं। इन सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के भीतर महाविद्यालयों में निर्धारित फीस जमा करानी होगी। फीस जमा नहीं होने/करने पर विद्यार्थी को छात्रसंघ निर्वाचन से वंचित किया जाएगा।

(द) ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी पद के लिए नामांकन भरने हेतु पूर्व से जारी निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्रारूप में **शपथ पत्र** देना अनिवार्य होगा।

15. जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक की उपलब्धता नहीं है अथवा अतिरिक्त आवश्यकता है। वे संबंधित जिले के कलेक्टर से लिखित में आग्रह कर अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं लेने हेतु आदेश प्राप्त करेंगे।

16. उपरोक्त छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में विशेष परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतों एवं ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जिनमें छात्रसंघ गठन के लिए अर्हता प्राप्त प्रत्याशी/अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन कर उचित निर्देश जारी करने हेतु सक्षम रहेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

4. प्रत्याशियों के लिए अर्हताऐं

1. स्नातक स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2012–13 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो। विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अन्तराल (गैप) ले सकता है। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अन्तराल (गैप) नहीं ले सकता है।

2. स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2009–10 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

3. एम.फिल. एवं शोध की कक्षाओं में अध्ययनरत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2005–06 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

4. जिन विद्यार्थियों की कक्षा 12वीं के बाद से एल.एल.बी. अंतिम वर्ष/एल.एल.एम. अंतिम वर्ष में प्रवेश तक बिना किसी ब्रेक के अध्ययन मे निरन्तरता रही हो, विधि पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन में भाग लेने के लिए अर्हतायें इस तरह रहेंगी :–

   (अ) पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम के संबंध में 10+2 परीक्षा सत्र 2010–11 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

   (ब) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के संबंध में 10+2 परीक्षा सत्र 2009–10 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

5. निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक प्रवेशित एवं अर्हताधारी विद्यार्थी ही छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

6. विद्यार्थी ने सभी पाठ्यक्रम निर्धारित न्यूनतम अवधि में ही उत्तीर्ण किये हो। अकादमिक सत्र 2017–18 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर मे से यदि किसी सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम किन्ही कारणों से घोषित नहीं हुए ऐसी स्थिति में सिर्फ इस सत्र के लिए प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरते समय पूर्व से जारी निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्र में अभिवचन–पत्र (संलग्नक-III ब से इ) देना अनिवार्य होगा।

7. विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सभी निर्धारित शुल्क पदाधिकारी नामांकन तिथि तक जमा कर दिये हों।

8. निम्न परिस्थितियों में प्रत्याशी आपराधिक प्रकरणों के प्रचलन आदि के कारण अपात्र होंगे :–

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(i) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

(ii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर आरोप निर्धारित कर लिया गया हो।

(iii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

(iv) किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई हो, जिसमें दर्ज धाराओं के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।

(v) परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में (i से iv) में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों के आधार पर प्रत्याशी को अपात्र नहीं माना जाएगा।

(vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी में अपराध प्रदेश में प्रचलित किसी भी अधिनियम में दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत होने पर अपात्रता निर्मित होगी। उदाहरण स्वरूप – भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी. सी.), आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधित अधिनियम आदि।

(vii) उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रत्याशी द्वारा स्वयं का अभिवचन पत्र पर्याप्त होगा। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से देने पर निर्वाचन पूर्व, दौरान एवं पश्चात कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करना, निर्वाचित अभ्यार्थी को पद से हटाना एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है।

9. किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दंडित नहीं किया गया हो अथवा उसके विरूद्ध अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण कार्यवाही विचाराधीन न हो।

10. विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं नियमित रूप से नियोजित न हो परन्तु अल्कालिक (पार्ट टाइम) कार्य करने की अनुमति होगी।

11. संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दंडित नहीं किया गया हो अथवा जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था में विचाराधीन न हो।

12. विद्यार्थी ने एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया हो।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

13. किसी भी उपाधि परीक्षा को पूरक/एटीकेटी के द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया हो।

14. सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हों। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के उपरान्त अध्ययन–काल में अंतराल न हुआ हो। यदि अन्तराल (गैप) है तो वह अपात्र होगा।

15. अध्ययन–काल के किसी भी वर्ष में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ छात्रावास से निष्कासित नहीं किया गया हो।

16. विद्यार्थी रैगिंग प्रकरण में लिप्त न रहा हो।

17. ऐसे महाविद्यालय जहां स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी/प्रत्याशी स्नातकोत्तर कक्षा से ही नामांकन हेतु पात्र होगा। अन्य तीनों पदाधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होगा।

18. छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह विगत सत्र 2016–17 में उसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र रहा हो। यह बन्धन स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर भी लागू होगा। यह बंधन स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले प्रत्याशियों पर लागू नहीं है।

19. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुल अध्ययनकाल की अवधि में (स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल अवधि) कोई भी विद्यार्थी अधिकतम एक बार ही छात्रसंघ पदाधिकारी के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन कक्षा प्रतिनिधि के पद के लिए यह बंधन नहीं है।

20. कक्षा प्रतिनिधि हेतु छात्राओं के लिए आरक्षण :–

कक्षा प्रतिनिधि के लिए कुल पदों के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित कक्षाओं के चयन के लिए लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाएगा। परन्तु छात्राओं हेतु सी.आर. का आरक्षण तभी किया जाएगा जब उन कक्षा विशेष में न्यूनतम 3 छात्राएं (अर्हताधारी) अध्यनरत हो। कन्या महाविद्यालयों में यह आरक्षण लागू नही होगा क्योंकि समस्त पद महिलाओं के लिए ही होंगे। 50 प्रतिशत की गणना महाविद्यालय में निर्वाचन में भाग ले रही कुल कक्षाओं में से की जाए। अगर न्यूनतम आवश्यक 03 छात्राओं से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो इन कक्षाओं में से लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाए। अगर यह संख्या 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी सभी कक्षाओं में छात्राओं के लिए आरक्षण रहेगा। शेष सभी कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के पद को अनारक्षित मानते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन कराये जाए। महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

स्पष्टीकरणः– अगर तीन छात्राओं अथवा तीन से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या कुल कक्षाओं की संख्या के 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत महिला सीट आरक्षण की बाद्यता नहीं रहेगी एवं ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से 3 से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं कों ही छात्राओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) के लिए आरक्षित माना जाएगा।

उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय में समस्त संकाय/पाठ्यक्रम की कुल 36 कक्षाएं संचालित है। सर्वप्रथम 03 या 03 से अधिक छात्राओं की संख्या वाली कक्षाओं को चिन्हित किया जाए, और यह संख्या 18 (अर्थात 50 प्रतिशत) या 18 से कम है तो इन्ही 18 या 18 से कम कक्षाओं में से ही छात्राओं/महिलाओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) का पद आरक्षित रहेगा। यदि 03 या 03 से अधिक छात्राओं की कक्षाओं की संख्या 18 से अधिक होती है तो ऐसी सभी कक्षाओं को पर्ची/लॉटरी बनाकर उसमे से 50 प्रतिशत अर्थात इस उदाहरण में 18 कक्षाएं छात्राओं हेतु कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) आरक्षण के लिए चिन्हित की जावे।

21. छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, की कक्षाएँ सम्मिलित नहीं होगी। एम. फिल. एवं शोध की कक्षाओं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, जिनकी उम्र छात्रसंघ निर्वाचन अधिसूचना दिनांक को 28 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

22. यदि किसी पद के लिये केवल एक ही पात्र नामांकन प्रपत्र निर्वाचन के लिये प्राप्त होता है तो संबंधित पात्र प्रत्याशी को आवेदित पद पर सक्षम निर्वाचन अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

5. छात्रसंघ गठन

कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों (Section) से मतदाता सूची मे स्थान प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत (Vote) डालकर कक्षा प्रतिनिधि (C R) का निर्वाचन किया जाएगा।

2. विश्वविद्यालय कैम्पस को छात्रसंघ गठन हेतु महाविद्यालय के समान ही माना जाएगा अर्थात विश्वविद्यालय में महाविद्यालय की छात्रसंघ गठन प्रक्रिया के समान ही, कक्षा प्रतिनिधि एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा इस प्रकार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया एक समान ही होगी।

3. किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा अर्थात् यदि किसी कक्षा के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया है तो सरंक्षक के द्वारा उस कक्षा के लिए गुणानुक्रम के आधार पर अर्हताधारी सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाएगा।

4. कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा/वर्ग का होना चाहिए। इसके साथ ही उसका नाम संबंधित कक्षा/वर्ग की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अंकित होना चाहिए।

5. कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में प्रत्याशी उसी कक्षा एवं वर्ग (सेक्शन) का विद्यार्थी होना अनिवार्य है जिस कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि पद के लिये वह निर्वाचन लड़ रहा है। प्रस्तावक एवं समर्थक भी उसी कक्षा एवं वर्ग (सेक्शन) का विद्यार्थी होना आवश्यक है। प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा की मतदाता सूची में अपने नाम एवं क्रमांक का उल्लेख कर नामांकन पत्र में यथा स्थान पर, मतदान अधिकारी की उपस्थिति में, हस्ताक्षर करेंगे जिसे प्रत्याशी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

6. किसी भी नामांकन पत्र पर यदि एक ही वर्ग के प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक ने उसी वर्ग के दूसरे प्रत्याशी के लिए भी प्रस्तावक समर्थक या समर्थक प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिया है तो ऐसे सभी नामांकन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

6. छात्रसंघ गठन

पदाधिकारियों का निर्वाचन

1. छात्रसंघ निर्वाचन में निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि किसी भी एक पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह सचिव) के लिए स्वयं का नामांकन निर्धारित अर्हताओं के अनुसार दाखिल कर सकता है।

2. छात्रसंघ पदाधिकारी पद के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि मे से ही होंगे। इसमें प्रस्तावक और समर्थक के लिए कक्षा/वर्ग का बंधन नहीं होगा।

3. छात्रसंघ पदाधिकारी पद के लिए नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन के पश्चात् निर्धारित समय सारिणी अनुसार सम्पादित होगी।

4. पदाधिकारियों के मतदान के पश्चात् मतगणना कर निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की जायगी।

5. इसके तत्काल बाद कुलपति/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित एवं मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों और निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

7. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन की समय सारिणी

क्र.	दिनांक	समय	कार्यक्रम विवरण
1	23.10.2017	11:00 प्रातः 3.00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संरक्षक द्वारा छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का जारी होना। छात्रसंघ गठन के लिए संरक्षक द्वारा पदों के आरक्षण की घोषणा।
2	24.10.2017	11:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रमशः विभागवार/कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना।
3	25.10.2017	04:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन।
4	26.10.2017	11:00 से 03:00 अपरान्ह तक	मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर दावा/आपत्ति।
5	27.10.2017	05:00 सायं तक	मतदाताओं की संशोधित अंतिम (वैध) सूची का प्रकाशन।
6	28.10.2017	10:00 से 11:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशियों का नामांकन।
		11:00 से 12:00 मध्यान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		12:00 से 12:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		12:30 से 01:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		01:00 से 02:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:00 से 02:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		02:30 से 03:30 अपरान्ह तक 03:30 अपरान्ह से कार्य पूर्ण तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन। जिन कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन नहीं हुआ है उन कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर संरक्षक द्वारा मनोनयन कर सूची जारी करना। विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतपत्र तैयार करना/मतदान केन्द्रों का निर्माण।
7	29.10.2017	05:00 सायं से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित।	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के द्वारा छात्रसंघ गठन के लिए प्रचार प्रसार।
8	30.10.2017	08:00 से 10:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/ महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान।
		10:00 प्रातः से 10:30 तक 11:00 मध्यान से 12.00 बजे तक	कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा। गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की एकजाई अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। इन मतदाताओं के द्वारा ही पदाधिकारियों को मतदान किया जाएगा।
		12:00 से 01:00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन।
		01:00 से 01:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		01:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		01:30 से 02:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		02:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:30 से 03:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		03:00 बजे से 03:30 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 से 04:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारियों के लिए मतदान।
		04:30 अपरान्ह से	पदाधिकारियों के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		परिणाम घोषणा के उपरान्त तत्काल	शपथ ग्रहण। नोट : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों /पदाधिकारियों के परिणामों एवं पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषण।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

8. मतदान की तैयारी एवं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मतदान कक्ष में किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकित अभिकर्ता/एजेन्ट को उपस्थित रहने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशी स्वयं चाहे तो उपस्थित रह सकता है।

2. यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में उपस्थित हो जाता है तो प्रत्याशी को मतदान पूर्व खाली मतपेटी दिखाना है, तत्पश्चात् मतपेटी का ताला लगाकर बन्द करना है। प्रदाय की गई गोंद लगी पेपर सील पर प्रत्याशी, मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित कर मतपेटी को सील करना है। (केवल पेपर सील को ही चिपकाना है)

3. मतदाता, मतदाता–सूची पर अपने नाम के समक्ष हस्ताक्षर करेगा व मतदान अधिकारी उसके नाम को (√) सही के निशान से अंकित भी करेगा।

4. मतदान हेतु मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने के पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करेगा।

5. मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर (फोल्ड करके) देगा। मतपत्र इस प्रकार से मोड़ा जायेगा कि किसी दूसरे के नाम पर पूर्व में मत अंकित करने हेतु की गई व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई गई स्याही किसी दूसरे प्रत्याशी पर न लगने पाए।

6. कक्षा प्रतिनिधि, छात्रसंघ पदाधिकारियों के मतदान हेतु परिचय–पत्र (महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया) या प्रवेश प्राप्त करते समय जमा की गई फीस/शुल्क की मूल रसीद लाना अनिवार्य है।

7. मतदान उपरान्त मतदाता के परिचय–पत्र, फीस की रसीद के पीछे मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना है।

8. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर लंबी घंटी बजेगी। मतदान प्रारंभ होने की सूचना केवल एक घंटी (सिंगल) बजवाई जायेगी। मतदान समाप्ति पर लम्बी घंटी बजवाई जायेगी।

9. मतदान की समाप्ति तक यदि मतदान के लिये मतदान कक्ष के बाहर शेष मतदाता उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पंक्तिबद्ध कर मतदान अधिकारी के द्वारा स्वहस्ताक्षरित पर्ची घटती क्रम संख्या से पंक्ति के सबसे अंतिम मतदाता को सबसे पहले बांटते हुए दी जायेगी तथा ऐसे पर्चीधारी शेष बचे हुए मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जायेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

10. दृष्टिहीन मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अपने साथी के साथ, जो उसी संस्था का छात्र हो, कर सकता है। निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशी ऐसे मतदाता का साथी नहीं हो सकता है।

11. मतदाता सूची में साधारण त्रुटि (लिपिकीय त्रुटि जैसे मात्रा आदि) को त्रुटि नहीं माना जाऐगा। संज्ञान में आने पर तत्काल ही त्रुटि सुधार कर दी जाये।

12. मतदान समाप्ति के पश्चात् उपस्थित प्रत्याशियों के समक्ष मतदान अधिकारी दल मत–पेटियों को खोलेंगे व मतपत्रों की गणना नियमानुसार करेंगे।

13. मतगणना के पश्चात समस्त कक्षों से प्राप्त सामग्री निर्दिष्ट नियंत्रण कक्ष में जमा होगी।

अ. उपयोग में लाये गये वैध मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर तथा लिफाफे पर हस्ताक्षर करने के पश्चात लौटाया जायेगा। ये सभी लिफाफे संस्था प्रमुख के कक्ष में सुरक्षित रखे जायेंगे।

ब. उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाया जायेगा।

स. कटे–फटे, निरस्त, गलत मुद्रित, मुद्रण त्रुटि वाले मतपत्र निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाये जाएंगे।

द. मतगणना का परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र (खुला हुआ) नियंत्रण कक्ष में जमा/लौटाया जायेगा।

य. शेष मतदान सामग्री मतदान पेटी में रखकर नियंत्रण कक्ष में लौटाई जायेगी।

14. निविदत्त मतपत्र :यदि कोई मतदाता मत देने आता है और उसका पूर्व से ही मत डाला जा चुका है तो उसे मतदान करने का अवसर दिया जावेगा, किन्तु ऐसे मतपत्र पृथक लिफाफे में सील किये जाएंगे एवं नियंत्रण कक्ष में जमा किये जाएंगे।

15. नामांकन एवं नाम वापसी निर्धारित प्रपत्रों में ही मान्य होगी।

16. नामांकन पत्र मे चाहीं गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरी जाएगी।

17. नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 100 रूपये की राशि तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 50 रूपये की राशि सम्बन्धित संस्था के जनभागीदारी मद खाते में ऑनलाईन कैशलेश जमा कर सकेंगे तथा कैशलेश सुविधा महाविद्यालय में नहीं होने पर विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी/प्रत्याशी ऑफलाईन राशि भी जमा कर सकते है तथा मूल रसीद प्रस्तुत करेंगे।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

18. संबंधित अधिकारी के समक्ष एक बार भरा हुआ नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर उस नामांकन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

19 प्रत्येक निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।

20. गुप्त मतदान के लिए (✓) सही का चिन्ह प्रत्याशी के नाम के समक्ष अंकित मतांकन के भाग में निर्धारित सीमा–रेखा में लगाना है।

21. निर्वाचन में पदाधिकारी पद के अभ्यर्थी/प्रत्याशी को बराबर मत प्राप्त होने पर निर्णय लॉटरी निकालकर होगा।

22. मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद सभी संवर्गो में मतदान स्थल पर ही मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। अतः प्रत्याशी मतदान की समाप्ति के बाद कक्ष में उपस्थित रहें, ताकि मतगणना उनकी उपस्थिति में हो। प्रत्याशियों के अनुपस्थित रहने पर भी मतदान की समाप्ति के उपरान्त मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी तथा मतगणना के उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया जाऐगा। घोषित परिणाम की आधिकारिक प्रति निर्वाचन नियंत्रण कक्ष/छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी/संरक्षक से प्रत्याशी प्राप्त कर सकते हैं।

23. प्रत्येक संवर्ग में निर्वाचन प्रत्याशी बनने की स्थिति में, प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक का व्यक्तिशः मतदान अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

24. सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए मतदान हेतु अपना परिचय–पत्र या प्रवेश की मूल रसीद की मूल प्रति लाना अनविार्य है।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

9. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

निर्वाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने एवं व्यवस्थित संचालन के लिये एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। इस सेल में छात्र कल्याण अधिष्ठाता/छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे, इनके अतिरिक्त एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पदस्थ हो और अंतिम वर्ष के दो वरिष्ठ छात्र (जो निर्वाचन के प्रत्याशी न हों) में से एक छात्र एवं एक छात्रा को नामांकित किया जावेगा।

निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच इस प्रकोष्ठ के द्वारा संस्था स्तर पर उसी दिन की जावेगी। प्रकोष्ठ द्वारा किसी भी तरह की शिकायत आने पर उसका जांच प्रतिवेदन महाविद्यालय में प्राचार्य/संरक्षक एवं विश्वविद्यालय में कुलपति/ संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा एवं संरक्षक के द्वारा उसी दिन निर्णय लिया जाएगा।

(अ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के समक्ष प्रथम अपील की जाने की व्यवस्था :

1. प्रकोष्ठ उसी दिन दोनों ही पक्षों के लिये उपयुक्त निर्णय दे सकेगा, जिसमें आर्थिक दण्ड, निलंबन, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियों केलिये निलंबन एवं निर्वाचन में भाग लेने पर अयोग्य घोषित कर सकेगा।

2. ऊपर निर्देशित अनुसार किसी प्रत्याशी के विरूद्व कोई भी या कुल आर्थिक दण्ड दिया जावेगा जो कि अधिकतम व्यय सीमा (रूपये 5000/–) से अधिक नहीं होगा।

3. यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस आचार–संहिता के या निर्णय ओपिनियन आर्डर या मार्गदर्शी नियम का प्रत्याशियों के द्वारा जान बूझकर उल्लंघन किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी, प्रत्याशी को अयोग्य घोषित करने के लिए संरक्षक को रिपोर्ट देगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(ब) संस्था प्रमुख के समक्ष द्वितीय अपील किये जाने की व्यवस्था

1. यदि प्रकोष्ठ के निर्णयों के विरूद्व संस्था प्रमुख/संरक्षक को द्वितीय अपील की जाती है तो प्रकोष्ठ अपना पक्ष संस्था प्रमुख के समक्ष पुनः प्रस्तुत करेगा।

2. संस्था प्रमुख/संरक्षक प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रकोष्ठ संस्था प्रमुख को प्रकरण के संबंध में लिखित अभिमत देगा।

3. संस्था प्रमुख/संरक्षक के द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकेगा जब उसके समक्ष अपील की जायेगी। संस्था–प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किये गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सकारण स्पीकिंग आदेश जारी कर निर्णय को मान्य या अमान्य या संशोधित कर सकेगा।

4. द्वितीय अपील की प्रक्रिया छात्रसंघ निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन

~~7. विश्वविद्यालय~~/महाविद्यालय स्तर पर
छात्रसंघ गठन की समय सारिणी

क्र.	दिनांक	समय	कार्यक्रम विवरण
1	23.10.2017	11:00 प्रातः	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संरक्षक द्वारा छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का जारी होना।
		3.00 अपरान्ह तक	छात्रसंघ गठन के लिए संरक्षक द्वारा पदों के आरक्षण की घोषणा।
2	24.10.2017	11:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रमशः विभागवार/कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना।
3	25.10.2017	04:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन।
4	26.10.2017	11:00 से 03:00 अपरान्ह तक	मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर दावा/आपत्ति।
5	27.10.2017	05:00 सायं तक	मतदाताओं की संशोधित अंतिम (वैध) सूची का प्रकाशन।
6	28.10.2017	10:00 से 11:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशियों का नामांकन।
		11:00 से 12:00 मध्यान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		12:00 से 12:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		12:30 से 01:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		01:00 से 02:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:00 से 02:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		02:30 से 03:30 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन। जिन कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन नहीं हुआ है उन कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर संरक्षक द्वारा मनोनयन कर सूची जारी करना।
		03:30 अपरान्ह से कार्य पूर्ण तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतपत्र तैयार करना/मतदान केन्द्रों का निर्माण।
7	29.10.2017	05:00 सायं से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित।	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के द्वारा छात्रसंघ गठन के लिए प्रचार प्रसार।
8	30.10.2017	08:00 से 10:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/ महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान।
		10:00 प्रातः से 10:30 तक	कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		11:00 मध्यान से 12.00 बजे तक	गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की एकजाई अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। इन मतदाताओं के द्वारा ही पदाधिकारियों को मतदान किया जाएगा।
		12:00 से 01:00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन।
		01:00 से 01:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		01:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		01:30 से 02:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		02:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:30 से 03:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		03:00 बजे से 03:30 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 से 04:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारियों के लिए मतदान।
		04:30 अपरान्ह से	पदाधिकारियों के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		परिणाम घोषणा के उपरान्त तत्काल	शपथ ग्रहण। नोट : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों /पदाधिकारियों के परिणामों एवं पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषण।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

छात्र संघ निर्वाचन -2017

* समस्त विद्यार्थी परिचय पत्र धारण कर ही मतदान दिवस तक महाविद्यालय में आए। परिचय पत्र के अलावा वर्तमान सत्र की मूल शुल्क रसीद साथ होना अनिवार्य है।
* छात्रसंघ निवार्चन राजनीतिक दलीय आधार पर नहीं होगें।
* प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर वाहनों एवं पशुओं का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।
* मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर में प्रचार–प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित है। विशेष रुप से मतदान दिवस को मतदान स्थल / परिसर से 500 मीटर के घेरे में किसी प्रकार का प्रचार – प्रसार सामग्री के प्रदर्शन / वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
* प्रत्याशी छपे हुए पोस्टर्स या छपी हुई सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।
* सिर्फ हाथ से बनाए पोस्टर्स का उपयोग करेंगे। इसमें कम्प्यूटर प्रिंट आउट आधारित पोस्टर / प्रचार सामग्री भी प्रतिबंधित है।
* प्रत्याशी सम्पूर्ण अवधि में महाविद्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में जुलूस या जनसभा नहीं कर सकेंगे।
* प्रत्याशी महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
* मतदान महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त पेन द्वारा करना अनिवार्य है। अन्यथा मत निरस्त माना जावेगा।
* आप सतत् सी सी टीवी कैमरे की नजर में है।

प्राचार्य
शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय
उज्जैन

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,